सिफारिशों का सार

हम सिफारिश करते है कि

➢ *सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अपने पारस्परिक लाभ के लिऐ एक अंतर-मंत्रालय प्रबंध कर सकते है जहां आयकर विभाग और आरओसी के बीच एक ऐसा इंटरफेस बने कि जैसे ही कोई कपंनी आरओसी के साथ पंजीकृत हो, पैन के लिऐ उसका आवेदन स्वत: ही आयकर विभाग के पास जमा हो जाऐ। जब नई निगमित कंपनी को पैन जारी किया जाऐ, तो इसे स्वत: आरओसी प्रणाली में अद्ययन के लिऐ भेज दिया जाऐ। इसके अतिरिक्त, कंपनियों द्वारा आवश्यक रूप से एमजीटी-7 के साथ आयकर विवरणी की पावती की एक प्रति जमा करायी जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कंपनियां अपनी आयकर विवरणी भरे और उसी के साथ आरओसी का डाटा आयकर विभाग के साथ सिंक हो जाएगा। (पैराग्राफ 2.2)*

सीबीडीटी ने (जुलाई 2018) में कहा कि कम्पनी के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के समय पैन हेतु आवेदन करने की व्यवस्था पहले से ही प्रचलन में है। सीबीडीटी (जुलाई 2018) में फार्म एमजीटी-7 में कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय अनिवार्य रूप से आईटीआर की पावती की एक प्रति जमा कराने की आवश्यकता की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सहमत हो गया।

➢ *सीबीडीटी को आईटीडी के आईटी प्रणाली और पंजीकर महानिरिक्षक(आईजीआर) के बीच एक अंतरापृष्ठ हेतु राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने पर विचार करना चाहिए ताकि जब भी आईजीआर कार्यालय में संपत्तियों की बिक्री पंजीकृत हो तो सूचना स्वत: रूप से आईटीडी प्रणाली में भी प्रसारित हो जाए। (पैराग्राफ 2.3.1)*

सीबीडीटी (जुलाई 2018) सिफारिश की जांच करने के लिए सहमत हो गया और कहा कि यद्यपि उच्च मूल्य संपत्ति के लेन देन वाले नान-फाइलर्स की पहचान करने के लिए प्रावधान किए गए है, इनके प्रवर्तन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

➢ *एआईआर फाइलर्स के द्वारा धारा 285बीए और धारा 139ए(5)(सी) के साथ पठित नियम 114बी के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी एक तंत्र स्थापित करे। (पैराग्राफ 2.3.5)*

सीबीडीटी ने (जुलाई 2018) कहा कि अप्रैल 2018 में एक नया समर्पित रिपोर्टिंग पोर्टल संचालित किया जा चुका है, जिसमें रिर्पोटिंग संस्था को पंजीकरण और विवरणों को अपलोड करने की आवश्कता है।

➢ *यह सिफारिश की जाती है कि सीबीडीटी को विभाग में सूचना साझा करने के लिए एक आईटी चालित तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि अचल संपत्ति के बिक्री/खरीद लेन-देनों से संबंधित सूचना का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए और राजस्व के क्षरण को रोका जा सके। (पैराग्राफ 3.4)*

सीबीडीटी ने बताया (जुलाई 2018) कि विभाग में सूचना सहभाजन के लिए पहले ही प्रणाली मौजूद थी।

लेखापरीक्षा का मत है कि चूंकि आयकर विभाग में सूचना सहभाजन के तंत्र में कमी है, अत: तंत्र को सुदृढ करने और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

➢ *सीबीडीटी दुरूपयोग को रोकने हेतु कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्भुगतान के लिए देय होने के बाद लंबित शेयर आवेदन धन के मामले के समाधान के लिए प्रणाली को मजबूत करने पर विचार करे। (पैराग्राफ 4.3.2)*

सीबीडीटी ने कहा (जुलाई 2018) कि बैठक में सीएजी द्वारा इंगित किये गये मामलों की जांच की जाएगी।

➢ *सीबीडीटी यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाऐ कि टीडीआर लेनदेनों को कराधान के अन्तर्गत लाया जा सके जैसे कि स्रोत पर कर लगा कर। (पैराग्राफ 4.4.1)*

सीबीडीटी ने बजट 2019 की तैयारी के दौरान इस मामले की जांच करना स्वीकार (जुलाई 2018) कर लिया।

➢ *अधिनियम की धारा 194* -आईए *के अंतर्गत सीबीडीटी स्रोत से कर कटौती तथा अचल संपत्तियों के पैन धारित एक क्रेता द्वारा इसे जमा करने की जानकारी ट्रेसिस में एकत्रित करने हेतु कदम उठाए। (पैराग्राफ 4.6.1)*

सीबीडीटी ने सिफारिश स्वीकार (जुलाई 2018) कर मामले की जांच करने को सहमति दी

➢ *सीबीडीटी निर्धारण अधिकारियों के मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने हेतु और निर्धारण संवीक्षा में गलतियों से बचने के लिए तंत्र आधारित जांच एवं सत्यापन लाने पर विचार करें। (पैराग्राफ 4.7)*

सीबीडीटी ने (जुलाई 2018) कहा कि आईटीबी पर निर्धारण पहले ही किया जा रहा था। इसके अलावा एक प्रमुख तरीके से विभाग द्वारा ई-निर्धारण भी

किया गया है। इस प्रकार उचित जांच एवं सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम मौजूद है। एओ एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है, अत: पूरी तरह से सिस्टम आधारित निर्धारण लाना संभव नहीं है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि सीबीडीटी द्वारा आय तथा उस पर कर की गणना में गलतियों से बचने के लिए सिस्टम आधारित जांच और सत्यापन लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए।

➢ *मंत्रालय को एक ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए जहाँ आयकर विभाग को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत योजना में दिये गऐ प्रोत्साहनों की समीक्षा करने से पूर्व संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से इनपुट प्राप्त हो सके ताकि मंत्रालय अभिप्रेत समूहों के कर प्रोत्साहनों के लाभों की निगरानी तथा आकलन करने की स्थिति में आ सके।(पैराग्राफ 5.1)*

सीबीडीटी ने कहा (जुलाई 2018) प्रशासनिक मंत्रालयों को उनके क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत क्षेत्रों के लिये प्रदत्त कर रियायतों के संबंध में प्रभाव अध्ययन मुहैया करने और विभिन्न पहलुओं पर लागत-लाभ विश्लेषण प्रदान करने का अनुरोध किया है।

जब लेखापरीक्षा ने इस संबंध में पूछा तो आयकर विभाग के पास आवास क्षेत्र में संवृद्धि पर पूर्वगामी राजस्व के प्रभाव के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। जिसके कारण यह प्रतीत होता है कि अभिप्रेत समूहों के लिए कर प्रोत्साहनों के लाभों की निगरानी नहीं की जा रही थी।

➢ *मंत्रालय फॉर्म 10सीसीबी में प्रमाणपत्र की जांच सुनिश्चित करे और यदि किसी मामलें में प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है तो चार्टड अकाउटेंट को जिम्मेदार माना जाए। (पैराग्राफ 5.2.2)*

सीबीडीटी ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया (जुलाई 2018)।